न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 64 / 2010 रिमाण्ड प्रकरण सं. 1 / 23
जीसीएमएस : 2023 / 83

1. डुगरराम पुत्र श्री अमर लाल जाति बिश्नोई निवासी चक 29 पी एस बी (लुणेवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0 —प्रार्थी

बनाम

1. विशाल पुत्र भूपराम जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
1/2 सावित्री पत्नी भूपराम जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
2. ज्ञान प्रकाश पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
3. शेष करण पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
5. हंसराज पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
6. कृपाराम पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
7. मोहजीत पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
8. शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
9. ओमप्रकाश पुत्र श्री कृष्ण लाल जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर ।
10. कृष्णा देवी पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी बिश्नपुरा तहसील रायसिंहनगर ।
11. पवन कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी बिश्नपुरा तहसील रायसिंहनगर।
12. धर्मवीर पुत्र श्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी बिश्नपुरा तहसील रायसिंहनगर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 8(2) राज. उप. अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल कुमार प्रार्थी
2. एकपक्षीय अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.05.2024

1 संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि – प्रार्थी डुंगर राम पुत्र श्री अमर लाल जाति बिश्नोई निवासी 29 पी एस बी (लूणेवाला) के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 प.न. 235 / 301 के कि.न. 19 ता 25 प्रत्येक सालम कुल 1.771 है0 नहरी [illegible] के मु.न. 38 प.नं. 235 / 301 के कि.न. 1 सालम अप्रार्थीगण स. [illegible] इसी मुरब्बा न. 38 के कि.न. 2 ता 18 सालम सालम [illegible] ता 9 के पिता कृष्णलाल व 10 ता 12 के ससुर व [illegible] लाल की [illegible] भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए इसी मु.न. 38 [illegible] से 15 20 वर्षो से .025 .025 है0 रास्ता चालू है। लेकिन राजस्व [illegible] मे रास्ता स्वीकृत ना होने के कारण उक्त अप्रार्थीगण काफी बार रास्ता मे आने जाने के लिए व्यवधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:59 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्र.सं. : 64/2010 रिमाण्ड प्रकरण सं. 1/23 अनवान डुगरराम बनाम विशाल आदि
धारा 8(2)राज.उप. अधि. निर्णय दिनांक 30.05.2024

पैदा करते है। उक्त रास्ता मन्जुर फरमाया जावे। उक्त प्रकरण में सम्बधित हितबद्ध पक्षकारान को सुन कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.12.2013 को वाके चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न. 1 10 11प्रत्येक में .025 .025 कुल .075 हे0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया एवं रास्ते मु आई भूमि के बदले भूमि प्रार्थी की खातेदार भूमि चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न. 19 के चिपते कि.न. 18 में साथ .075 हे0 भूमि बदले मे दिये जाने के आदेश दिये गये थे। साथ में तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त स्वीकृत शुदा रास्ते का रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर एव रास्ते में आई हुई भूमि के बदले में .075 रकबा अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर अमल दरामल करने के आदेश दिये गये थे।

2. उक्त आदेश के विरूद्ध कृपाराम पुत्र कृष्णलाल वगैरा ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के यहाँ अपील सं. 251/13 एवं 1/14 अनवान कृपाराम वगैरा बनाम डुंगरराम प्रस्तुत करने पर उनके आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा अपीलाटस की दोनो अपीले सारहीन पाये जाने पर अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध कृपाराम पुत्र कृष्णलाल ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहाँ अपील सं. /एलआर/2015/7703/ श्री गंगानगर अनवान कृपाराम बनाम डुंगरराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 के अनुसार अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 30.11.2015 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 23.12.2013 बहाल रखा गया है।

3. उक्त प्रकरण मे भी शेषकरण पुत्र पृथ्वीराज ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहाँ अपील/एलआर/2015/7704/गंगानगर अनवान शेषकरण बनाम डुंगरराम वगैरा के प्रस्तुत की गई। जिस मे पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 के अनुसार अपील अपीलार्थी निर्णित की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2013 मे आशिक संशोधन कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को रास्ते की भूमि के एवज में भूमि दिया जाना तर्कसंगत नहीं हो तो डी.एल.सी. की दर से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से राशि का भुगतान किया जावे। उभक्ष पक्षकारान को निर्देशित किया गया कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 12.1.2023 को उपस्थित हो।

4. उक्त प्रकरण बाद निर्णय इस न्यायालय को दिनांक 10.02.2023 को प्राप्त होने पर पेशी मे किया गया। प्रार्थी डुंगरराम पुत्र श्री अमरलाल की ओर से श्री अनिलकुमार अधिवक्ता हाजिर आये। अप्रार्थीगण हाजिर नही आये । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को उपस्थित आने के लिए कई अवसर दिये गये। साथ माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 01.12.2022 में अप्रार्थीगण (प्रार्थीगण) को न्यायालय में दिनांक 12.1.2023 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। उसके उपरान्त हाजिर नही आये। उक्त प्रकरण में तहसीलदार एवं उप पंजीयक रायसिंहनगर से उक्त चक की वर्तमान डी.एल.सी. दर दिनांक 03.05.2024 को लिखा गया। उप पंजीयक रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/पंजीयन/24/1187 दिनांक 13.5.2024 के अनुसार उक्त चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 की सिंचित वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 492800/- रूपये प्रति हैक्टयर व उक्त असिंचित कृषि भूमि की दर 246400/- रूपये प्रति हे0 है।

5. अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 01.12.2022 के निर्देशानुसार इस न्यायालय के पारित आदेश 23.12.2013 मे आशिक संशोधन वाके चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि. [illegible] .025 कुल .075 हे0 भूमि रास्ता मे आई के बदले मे [illegible] को उक्त चक की वर्तमान डी.एल.सी. दर से मुआवजा [illegible] मे रास्ता मे आई भूमि के बदले मे उक्त चक [illegible] की दुगनी राशि पर उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्या[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

प्र.सं. : 64/2010 रिमाण्ड प्रकरण सं. 1/23 अनवान डुगरराम बनाम विशाल आदि धारा 8(2)राज.उप. अधि. निर्णय दिनांक 30.05.2024

: क्रियान्वयन आदेश :

अत: उपरोक्त विवेचन एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 01.12.2022 मे दिये गये निर्देशानुसार अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम संशोधन कर स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक 29 पी एस बी के मु.न. 38 के कि.न 1-10-11 प्रत्येक मे .025-.025 कुल .075 है0 गै.मु.रा. इस चकी की वर्तमान डी एल.सी. दर की दुगनी राशी पर स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ता में आई कुल .075 है. भूमि की एवज मे डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से प्रतिकर राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके अंश अुनसार भुगतान करे एवं स्वीकृतशुद्वा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:59 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner